

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या- 2264 / सत्ताईस-1-2020-43 / 2019
लखनऊ: दिनांक: 01 जुलाई, 2020

अधिसूचना संख्या: 3023
दिनांक: 01/7/20
लखनऊ

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के सिविल संवर्ग के श्री रमेश चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे-8700 पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2- उपर्युक्त पदोन्नति के आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/ निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
- 3- श्री रमेश चन्द्र की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

टी0 वेंकटेश
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 2264 (1)/सत्ताईस-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, उ0प्र0, लखनऊ।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान)-1/3, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाइल।

श्रीधर रात्रा, सचिव-ए.क.

SS file 43 of 10

SS
01/7/2020
7/7/20

4

आज्ञा से,
9
(ओ0पी0 सिंह)
उप सचिव।
SS

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश

संख्या: सीजी-19/ई-1,

लखनऊ: दिनांक: 01 जुलाई, 2020

शासनादेश संख्या: 2264/सं.ताईस-1-2020-43/2019, दिनांक-01.07.2020 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं निय०)/(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, गोण्डा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. अधीक्षण अभियन्ता, (कम्प्यूटर केन्द्र), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जॉच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक (का० प्र० अनु०-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
11. प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
12. महासचिव, उ० प्र० अभियन्ता संघ, 96-महात्मा गांधी मार्ग, (कार्यालय लोक निर्माण विभाग, उ० प्र०), लखनऊ।

(डी० के० मिश्रा)

मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)